जिससे सरकार और जनता के मध्य एक दरार उत्पन्न हो गयी। महात्मा गाँधी द्वारा चलाया गया असहयोग आन्दोलन और सविनय अवज्ञा आन्दोलन भी दोनों के सम्बन्धों को तनावपूर्ण बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। वस्तुतः भारतीयों को यह सुधार-व्यवस्था कतई भी रुचिकर प्रतीत नहीं हुई। यह उनकी भावनाओं के प्रतिकूल थी। अतः उसकी सफलता संदिग्ध थी। **प्रो. कूपलैण्ड** ने लिखा है कि, "अपने मूल उद्देश्य में द्वैध-शासन असफल रहा·····इसने उत्तरदायी सरकार हेतु वास्तविक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया।"[1]

1919 ई. का अधिनियम भारतीयों को सन्तुष्ट नहीं कर सका था और वे अभी भी स्वायत्त सरकार की स्थापना के लिये प्रयासरत थे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था और गोलमेज सम्मेलनों से भी उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था, परन्तु इस सम्मेलन के बाद अंग्रेजी सरकार ने 1933 ई. में एक श्वेतपत्र जारी किया था जिसमें उन नवीन सुधारों का उल्लेख किया गया था जो भारत में कालान्तर में होने थे। उसमें कुछ संशोधन के बाद अंग्रेजी संसद ने फरवरी 1935 ई. में संसद में इस बिल का मसविदा प्रस्तुत किया जो पर्याप्त वाद-विवाद के बाद अगस्त 1935 ई. में पारित होकर भारत अधिनियम बना।

इस अधिनियम ने गृह सरकार में कुछ परिवर्तन प्रस्तुत करने के साथ-साथ भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में भी निम्नलिखित परिवर्तन प्रस्तुत किये—

1. भारत में संघीय शासन की स्थापना की जायेगी जिसमें देशी रियासतें भी शामिल होंगी।

2. 1919 ई. के अधिनियम के अनुसार प्रान्तों में जो द्वैध-व्यवस्था स्थापित की गयी थी, वह केन्द्र में स्थापित की जायेगी।

3. प्रान्तों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जायेगी और प्रशासनिक व्यवस्था के तीन भाग होंगे—

(क) संघात्मक सूची में केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त सभी विषय सम्मिलित होंगे।

(ख) प्रान्तीय सूची में प्रान्तीय सरकार को प्रदत्त सभी विषय सम्मिलित होंगे।

(ग) समवर्ती सूची में केन्द्र और प्रान्त की व्यवस्थापिका सभाओं को कार्यान्वयन हेतु प्रदत्त दोनों के विषय सम्मिलित होंगे, परन्तु प्रान्तीय सरकारें केन्द्र-विरोधी कानून नहीं बना सकती थीं।

प्रान्तों को केवल उन विषयों से सम्बन्धित व्यवस्थापिका और कार्यकारी अधिकार प्राप्त थे जो प्रान्तीय सूची में दिये गये थे। सामान्य परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार को उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त नहीं था। प्रान्तीय विधायकों में से चुने गये मन्त्रियों की सहायता से गवर्नर प्रान्त की व्यवस्था करता था। इस प्रकार प्रान्तों में स्थापित व्यवस्था को इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रान्तीय स्वायत्तता की संज्ञा दी गयी थी।

4. इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र में एक संघात्मक न्यायालय भी स्थापित किया गया था।

5. भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गयी।

---

1 Dyarchy failed in its primary purpose which its authors intended to serve. It

Scanned by CamScanner